



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43019/2024

उमेश चौरसिया

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

संतोष कुमार तिवारी

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए., विजय प्रकाश चतुर्वेदी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

- लिस्ट में बदलाव किया गया है।
- आवेदक के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी, सूचना देने वाले के अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश चतुर्वेदी, राज्य के अधिवक्ता ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार, वकील को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
- आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 91 वर्ष 2024, धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना कोटवाली लोटन, जिला सिद्धार्थनगर में मुकदमा के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
- आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि यह साफ़ तौर पर झूठे आरोप का मामला है। प्राथमिकी शाम 5:40 बजे दर्ज की गई थी। घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी आठ किलोमीटर है। सूचना देने वाले का एक ही समय में दो जगहों पर मौजूद होना मुमकिन नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच की कार्रवाई शाम 5:45 बजे पूरी हुई, हालांकि जांच की कार्रवाई पूरी होने के समय में अधिलेखन है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सूचना देने वाला जांच की कार्रवाई में पंच गवाह संख्या 1 है। वह एक ही समय में दो जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता है? आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 19.07.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

6. सूचना देने वाले के अधिवक्ता और ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सका।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलों, रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी मंज़ूर की जाती है।

8. आवेदक- अर्जुन कुमार, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।



(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।